

प्रेषिका,

अंजू राजपूत,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्रीमान् उप निबंधक (एम)  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,  
जालौन स्थान उरई।

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के प्रोपर्टी स्टेटमेंट का विवरण।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मैंने दिनांक 20.04.2009 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा ज्याइन की थी तथा मेरे द्वारा दिनांक 23.07.2018 को वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 के प्रोपर्टी स्टेटमेंट भेजा गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्नक के रूप में संलग्न है। चूंकि मेरे द्वारा सहवन त्रुटिवश प्रोपर्टी स्टेटमेंट नहीं भेजा गया था। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में किसी प्रकार की movable and immovable property का क्रय नहीं किया गया है। अतः मेरे द्वारा पूर्व में नियत अन्तरालों में प्रोपर्टी स्टेटमेंट न भेजने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक के प्रोपर्टी स्टेटमेंट इस पत्र के साथ संलग्न कर उचित माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

दिनांक-10.12.2021

भवदीया,  
*Anju Rajput*  
(अंजू राजपूत)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालौन स्थान उरई।